MA-I (Sem-I & Sem-2)

पात्रता

1. अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा विधिमान्य विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक में न्यूनतम सी. जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।
2. प्रवेश हेतु अर्हता वर्ष–2026 (स्नातक उत्तीर्ण वर्ष) में अधिकतम 2 वर्ष का अकादमिक गैप उपयुक्त साक्ष्यों एवं शपथपत्र के अधीन अनुमन्य होगा। उक्त की स्थिति में प्रति गैप वर्ष के लिए 0.1 सीजीपीए की कमी के साथ मेरिट कट–आफ में स्थान अनुमन्य होगा।
3. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अकादमिक गैप की श्रेणी में नहीं आयेगें इनके लिए अर्हता वर्ष–2024 होगा।
4. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा के साथ किसी विषय से परास्नातक है तो द्वितीय विषय से परास्नातक में प्रवेश हेतु आवेदन लिए अर्हता वर्ष–2022 होगा।
5. **त्रि–वर्षीय बी0ए0/बी0ए0(आनर्स) उत्तीर्ण छात्र केवल तृतीय वर्ष के विषय से ही एम0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।** राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप बी0ए0 के विद्यार्थी अपने तृतीय वर्ष के मेजर विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऐसे प्रवेश, विषय की पूर्व अनिवार्यता के आधार पर ही अनुमन्य होंगे।
6. **बी0एस.सी0/बी0एस.सी0(आनर्स) उत्तीर्ण छात्र भी एम0ए0 में अप्रायोगिक विषयों से प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।** प्रायोगिक विषयों से एम0ए0 में प्रवेश, विषय की पूर्व अनिवार्यता के आधार पर ही अनुमन्य होंगे।
7. **बी0काम0/बी0काम0(आनर्स) एवं बी0बी0ए0 उत्तीर्ण विद्यार्थी भी एम0ए0 में अप्रायोगिक विषयों से प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।** प्रायोगिक विषयों से एम0ए0 में प्रवेश, विषय की पूर्व अनिवार्यता के आधार पर ही अनुमन्य होंगे।
8. वार्षिक पाठ्यक्रम में यदि अंग्रेजी भाषा/हिन्दी भाषा विषय स्नातक तृतीय वर्ष में हों तो अभ्यर्थी एम0ए0 अंग्रेजी/हिन्दी में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
9. **विशेषः सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय के वह विद्यार्थी जो प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक पूर्ण रुप से उत्तीर्ण हो तथा पंचम/षष्टम सेमेस्टर के दो पेपर में फेल होने के कारण यदि अंतिम वर्ष में रिजल्ट आर.डी./फेल हो अर्थात स्पेशल बैक पेपर अनुमन्य हो तो उनका सशर्त प्रोविजनल प्रवेश अनुमन्य होगा ।**

M.Sc.-I (Sem-I & Sem-2)

पात्रता

1. अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा विधिमान्य विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक में न्यूनतम सी. जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।
2. प्रवेश हेतु अर्हता वर्ष–2026 (स्नातक उत्तीर्ण वर्ष) में अधिकतम 2 वर्ष का अकादमिक गैप उपयुक्त साक्ष्यों एवं शपथपत्र के अधीन अनुमन्य होगा। उक्त की स्थिति में प्रति गैप वर्ष के लिए 0.1 सीजीपीए की कमी के साथ मेरिट कट–आफ में स्थान अनुमन्य होगा।
3. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अकादमिक गैप की श्रेणी में नहीं आयेगें इनके लिए अर्हता वर्ष–2024 होगा।
4. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा के साथ किसी विषय से परास्नातक है तो द्वितीय विषय से परास्नातक में प्रवेश हेतु आवेदन लिए अर्हता वर्ष–2022 होगा।
5. **बी0एस.सी0 / बी0एस.सी0(आनर्स) उत्तीर्ण छात्र केवल तृतीय वर्ष के विषय से ही एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।**
6. **विशेषः सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय के वह विद्यार्थी जो प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक पूर्ण रुप से उत्तीर्ण हो तथा पंचम/षष्टम सेमेस्टर के दो पेपर में फेल होने के कारण यदि अंतिम वर्ष में रिजल्ट आर.डी./फेल हो अर्थात स्पेशल बैक पेपर अनुमन्य हो तो उनका सशर्त प्रोविजनल प्रवेश अनुमन्य होगा।**

M.Com-I (Sem-I & Sem-2)

पात्रता

1. अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा विधिमान्य विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक में न्यूनतम सी. जी.पी.ए. 4 होना अनिवार्य है।
2. प्रवेश हेतु अर्हता वर्ष–2026 (स्नातक उत्तीर्ण वर्ष) में अधिकतम 2 वर्ष का अकादमिक गैप उपयुक्त साक्ष्यों एवं शपथपत्र के अधीन अनुमन्य होगा। उक्त की स्थिति में प्रति गैप वर्ष के लिए 0.1 सीजीपीए की कमी के साथ मेरिट कट–आफ में स्थान अनुमन्य होगा।
3. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अकादमिक गैप की श्रेणी में नहीं आयेगें इनके लिए अर्हता वर्ष–2024 होगा।
4. स्नातक के बाद बी0एड0, डी0एलएड0 एवं समकक्षीय परीक्षा के साथ किसी विषय से परास्नातक है तो द्वितीय विषय से परास्नातक में प्रवेश हेतु आवेदन लिए अर्हता वर्ष–2022 होगा।
5. **बी0काम0/बी0काम0(आनर्स) एवं बी0बी0ए0 उत्तीर्ण छात्र ही एम0काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।**
6. **विशेषः सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय के वह विद्यार्थी जो प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक पूर्ण रुप से उत्तीर्ण हो तथा पंचम/षष्टम सेमेस्टर के दो पेपर में फेल होने के कारण यदि अंतिम वर्ष में रिजल्ट आर.डी./फेल हो अर्थात स्पेशल बैक पेपर अनुमन्य हो तो उनका सशर्त प्रोविजनल प्रवेश अनुमन्य होगा ।**